पुलिस थाना-राजातालाब, कमिश्नरेट - वाराणसी ।
सी.यू.जी. नं.-7839856924 ई-मेल- so-rajatalab.va@up.gov.in

प्रेस नोट

मु0अ0स0 240/2022 धारा 379 आईपीसी व बढोतरी धारा 411 आईपीसी व मु0अ0सं0 037/2023 धारा 379 आईपीसी व बढोतरी धारा 411 आईपीसी थाना राजातालाब जनपद वाराणसी ।

श्रीमान पुलिस उपायुक्त गोमती जोन महोदय वाराणसी कमिश्नरेट व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन वाराणसी कमिश्नरेट के निर्देशन व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब वाराणसी कमिश्नरेट के कुशल नेतृत्व में तथा प्रभारी निरीक्षक राजातालाब के नेतृत्व में क्षेत्र मे बढते अपराध एवं अपराधियो की रोकथाम, वांछित अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे आज दिनांक 15.03.2023 को उ0नि0 उमेश कुमार मय हमराह उ0नि० पवन कुमार यादव, हे0का0 शालिक सिंह यादव, हे0का0 सत्यप्रकाश सिंह के देखभाल क्षेत्र रात्रि गस्त, पेण्डिंग एहकमात व विवेचना में महगांव मे मौजूद था जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि हम पुलिस वाले अपनी अपनी मोटरसाइकिल से गस्त करते हुए मां गांव प्राथमिक पाठशाला पहुंचे तो मुखबिर खास मिला बताया कि साहब आप लोग जिस अभियुक्त की तलाश कर रहे हैं वह बासवाड़ी में कहीं जाने फिराक में सफेद लाइन दार शर्ट व स्लेटी कलर का जींस पहने खड़ा है यदि आप लोग जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है हम पुलिस वाले मुखबिर की बात पर विश्वास करके महागांव गंभीरीपुर बसवाड़ी से 200 मीटर मुर्गी फार्म के पास पहुंचे मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि यह वही व्यक्ति है जिसकी आप लोग तलाश कर रहे थे। इशारा करके मुखबिर खास हटबढ़ गया हम पुलिस वाले आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लिया गया किसी के पास कोई अपछनीय वस्तु बरामद नहीं हुई हम पुलिस वाले इतिमिनान करके छुपते छुपाते बासवाड़ी के पास पहुंचे तो अभियुक्त हम पुलिस वालों को देखकर भागने लगा हम पुलिस वाले एक बारगी दबिश देकर बासवाड़ी से 100 कदम दूरी पर पकड़ लिया पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो अपना नाम कार्तिकेय पटेल पुत्र स्व0 गणेश प्रसाद निवासी ग्राम महगांव गंभीरीपुर थाना राजातालाब उम्र करीब 22 वर्ष बताया भागने का कारण पूछा गया तो गलती की माफी मांगते हुए बताया कि साहब दिनांक 28/12/ 2022 को शाम 6:30 बजे के आसपास मयंक डिजिटल स्टूडियो एवं सहज जन सेवा केन्द्र से Redmi not 10 मोबाइल चोरी किया था जिसका सिम फेंक दिया था और कुछ दिन बाद अपना नया सिम लगा दिया था कड़ाई से पूछने पर बताया कि दिनांक 27/02/23 को रात में नंदघर ग्राम पंचायत असवारी आंगनवाड़ी केंद्र से मैंने सोलर पैनल चोरी किया था इसलिए आप लोगों को देख कर भाग रहा था जामा तलाशी से पहने जींस के पेंट से एक अदद मोबाइल फोन vivo कंपनी का रंग सुनहरा जिसमें सिम लगा हुआ मिला जिसका सिम नंबर 899187104006 77710097 जिओ कंपनी का बरामद हुआ उक्त मोबाइल नंबर 9260985676 पर फोन मिलाया गया तो वही फोन आया जो प्राप्त सीडीआर और कैफ रिपोर्ट जिसमें कार्तिकेय पटेल पुत्र गणेश प्रसाद महगांव गंभीरीपुर की आईडी प्राप्त हुई थी बरामद मोबाइल के बारे में पूछा गया तो बताया कि यह vivo मोबाइल मैंने चोरी किया था तथा दिनांक 18/12/2022 को चोरी किए गए Redmi not 10 के बारे में पूछा गया तो बताया कि मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर चलतेफिरते आदमी से 1000 में बेच दिया था । तथा यह 500 बचे हैं जो मेरे शर्ट की जेब में है 500 मैंने खाने पीने में खर्च कर दिया है तथा दिनांक

27/02/ 2023 को नंदघर आंगनवाड़ी से 3 पैनल चोरी किया था जिसमें से 2 पैनल मैंने 1200 रुपए में चलते फिरते आदमी से भेज दिया था जिसमें 700 मैंने खर्च कर दिया तथा 500 मेरे पीछे वाले पैंट की जेब में रखे हैं अभी उनकी जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल vivo कंपनी का तथा एक अदद सिम जिओ कंपनी का व 500,500 रुपये के दो नोट बरामद हुए और एक अदद सोलर पैनल मैंने बासवाड़ी में छिपा कर रखा है के बारे में बता रहा है हम पुलिस वाले बासवारी पहुंचे तो अभियुक्त ने बताया कि यहीं पर छुपाया है जिसको देखा गया तो एक अदद सोलर पैनल बांसवाड़ी से बरामद हुआ बताया कि यह वही सोलर पैनल है जो मैंने चोरी किया था आने जाने वाले राहगीरों से गवाही गवाहान के लिए कहा गया तो भलाई बुराई का वास्ता देकर हर बढ़ गए और गवाही गवाहान के लिए तैयार नहीं हुवे अभियुक्त को उसके जुर्म धारा मु0 अ0 सं0 240/2022 धारा 379 ,411 आईपीसी व मु0 अ0 सं0 037/2023 धारा 379 411 आईपीसी से अवगत कराते हुए समय करीब 11:00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

अभियुक्त का नाम पता:

1. कार्तिकेय पटेल पुत्र स्व0 गणेश प्रसाद निवासी ग्राम महगांव गंभीरीपुर थाना राजातालाब उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक 15.03.2023 समय 11.00 बजे स्थान- महगांव गंभीरीपुर बासवाड़ी

बरामदगी-

vivo मोबाइल Redmi not 10, एक अदद सिम जिओ कंपनी का व 500,500 रुपये के दो नोट बरामद हुए और एक अदद सोलर पैनल

सम्बन्धित अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 0240/2022 धारा- 379/411भादवि थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी।
2. मु0अ0स0 0037/2023 धारा- 379/411भादवि थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी।

पुलिस टीम का विवरण:

1. उ0नि0 उमेश कुमार
2. उ0नि0 पवन कुमार यादव
3. हे0का0 शालिक सिंह यादव
4. हे0का0 सत्यप्रकाश सिंह

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 - 0187/2018 धारा -8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रोहनिया पुलिस कमि0 वाराणसी
2. मु0अ0स0 - 0244/2020 धारा -379/411/420 आईपीसी थाना रोहनिया पुलिस कमि0 वाराणसी
3. मु0अ0स0 – 0245/2020 धारा -3/25 आर्म्स एक्ट थाना रोहनिया पुलिस कमि0 वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
थाना-राजातालाब
जनपद-वाराणसी कमिश्नरेट।

फोटो –

vivo V23e
Mar 15,2023